पटना में दिनांक—08 अप्रैल, 2020 बुधवार को अपराह्न 05:00 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :—

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

1. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड, पटना मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्य हेतु 78 विभिन्न पदों के पुनर्गठन एवं पद सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — 1. स्वीकृत।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

2. "बिहार अधीनस्थ खेल एवं युवा लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त्ते) नियमावली, 2020" की स्वीकृति के संबंध में। — 2. स्वीकृत।

कृषि विभाग

3. श्री निरंजन कुमार (बिहार कृषि सेवा कोटि—7 (उद्यान) वर्ग—2) तत्कालीन जिला उद्यान पदाधिकारी, दरभंगा सम्प्रति सहायक निदेशक उद्यान, समस्तीपुर के विरूद्ध बर्खास्तगी का दण्ड संबंधी निर्गत अधिसूचना संख्या 26 दिनांक 30.01.2013 को, सी०डब्लू०जे०सी० सं०— 5646/2013 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में, विभागीय आदेश संख्या 338 दिनांक 30.05.2018 द्वारा निरस्त करने के उपरांत "भविष्य में सदा के लिए प्रोन्नति की रोक" संबंधी दण्ड की स्वीकृति के संबंध में। — 3. स्वीकृत।

कृषि विभाग

4. श्री नरेश नाथ (बिहार कृषि सेवा कोटि—1 (शष्य) वर्ग—1) तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पतरघट, सहरसा सम्प्रति बर्खास्त के विरूद्ध "सरकारी सेवा से बर्खास्तगी" संबंधी अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध सी०डब्लू०जे०सी०सं०—17482/2008 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 872 दिनांक 18.11.2008 को निरस्त करने के उपरांत श्री नाथ के विरूद्ध उनके "पेंशन से 50% (पचास प्रतिशत) राशि कटौती" संबंधी दण्ड की स्वीकृति के संबंध में। — 4. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

5. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत अनन्य विशेष न्यायालय की स्थापना हेतु अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (जिला न्यायाधीश प्रवेश बिन्दु) के 09 (नौ) पदों के सृजन की स्वीकृति। — 5. **स्वीकृत।**

गृह विभाग
(कारा)

6. कारा प्रशासन को सुदृढ़ बनाने एवं विभागीय कार्यों के ससमय निष्पादन हेतु कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय हेतु बिहार प्रशासनिक सेवा के उप सचिव–सह–उप निदेशक (प्रशासन) स्तर के दो अतिरिक्त पदों की स्वीकृति के संबंध में। — 6. **स्वीकृत।**

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

7. चारा घोटाला से संबंधित अपराधिक कांड संख्या आर०सी० 45 (ए)/96 में माननीय सी०बी०आई० न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक 18.04.2018 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में सजायाफ्ता बिहार पशु चिकित्सा सेवा के पशु चिकित्सक डॉ० पिताम्बर झा, तदेन भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी (चलंत), देवघर को सरकारी सेवा से बर्खास्त किये जाने की स्वीकृति के संबंध में। — 7. **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

8. सीतामढ़ी जिलान्तर्गत नगर परिषद्, सीतामढ़ी, नगर पंचायत, डुमरा नगर पंचायत एवं निकटवर्ती 17 मौजों के क्षेत्रों को मिलाकर नगर निगम सीतामढ़ी घोषित करने के संबंध में। — 8. **स्वीकृत।**

भवन निर्माण विभाग

9. प्रस्तावित "समाहरणालय भवन, पटना" के लिए चयनित परामर्शी के शुल्क भुगतान की स्वीकृति के संबंध में। — 9. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

10. पूर्णियाँ जिलान्तर्गत पूर्णियाँ पूर्व अंचल के मौजा– हॉसदा, थाना नं०–240, खाता नं०–126 के विभिन्न खेसरा की कुल रकबा–04हे० 04 ए० 90प्वां अर्थात 10 एकड़ (भूमि विवरणी संलग्न, परिशिष्ट–I) अनावाद बिहार सरकार, राजस्व विभाग की भूमि किस्म खाली ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (Land Fill site) हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग को अन्तर्विभागीय निःशुल्क हस्तान्तरण करने के संबंध में। — 10. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

11. मधुबनी जिलान्तर्गत विस्फी अंचल के मौजा–सिमरी, थाना नं०–245, खाता सं०–1701, खेसरा सं०–6556, रकबा–1. 08 एकड़ किस्म धनहर भूमि अभिधारी बुनियादी विद्यालय, सिमरी, (बिहार सरकार) की भूमि 8900 रू० प्रति डिसमिल की दर से 9,61,200 (नौ लाख इकसठ हजार दो सौ) रू० सलामी एवं सलामी के पांच प्रतिशत का पच्चीस गुणा अर्थात 12,01,500 (बारह लाख एक हजार पांच सौ) रू० पूंजीकृत मूल्य सहित कुल–21,62,700 (इक्कीस लाख बासठ हजार सात सौ) रू० के भुगतान पर विद्युत शक्ति उपकेन्द्र निर्माण हेतु नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।

11. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

12. पटना जिलान्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–83 (पटना–गया–डोभी) के तहत पुनपुन अंचल के मौजों क्रमशः–1, पकड़ी, थाना नं०–59, 2. धरहारा, थाना नं०–41, 3. बाकरपुर, थाना नं०–35, 4. पोठही, थाना नं०–42, 5. मनोरह, थाना नं०–57, 6. डुमरी, थाना नं०–34 एवं 7. बसुहार, थाना नं०–39, कुल रकबा– 6. 802663 एकड़ गैरमजरूआ आम भूमि (संलग्न परिशिष्ट–I के अनुसार) ''यथास्थिति'' में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (N.H.A.I) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।

12. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

13. भागलपुर जिलान्तर्गत अंचल–सुल्तानगंज के मौजा– नगर परिषद् सुल्तानगंज, वार्ड नं०–03, खाता सं०– 340, खेसरा–1 का अंश, 2 का अंश एवं 3 का अंश का क्रमशः रकबा–21.862 डिसमिल, 45.75 डिसमिल, 8 एकड़ 22. 265 डिसमिल, कुल रकबा–8 एकड़ 89.877 डिसमिल किस्म अनावाद बिहार सरकार, सुल्तानगंज– अगुवानी घाट के बीच गंगा पुल संपर्क पथ निर्माण हेतु पथ निर्माण विभाग को निःशुल्क भूमि हस्तान्तरण के संबंध में।

13. **स्वीकृत।**

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

14.	श्री कृष्ण कुमार यादव, संविदा पर नियोजित, अधीक्षक, राजकीय अतिथिशाला, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–10000, दिनांक–10.07.2015 की कंडिका–3(3)(क)(v) एवं संकल्प संख्या 3978, दिनांक–23.03.2018 की कंडिका–5 के अनुसार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक–05.02.2020 की बैठक की कार्यवाही के क्रमांक–20 की अनुशंसा के आलोक में राजकीय अतिथिशाला के अधीक्षक के पद पर संविदा अवधि 65 वर्ष की आयु से 67 वर्ष की आयु तक विस्तारित करने के संबंध में।	14.	स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

16.	गंडक नदी का वाल्मीकिनगर (बिहार–नेपाल सीमा) से सोनपुर (गंगा नदी के मिलान स्थल) तक 225.00 कि०मी० की लम्बाई में सर्वेक्षण कार्य योजना, प्राक्कलित राशि ₹115.62 लाख रूपये (एक करोड़ पंद्रह लाख बासठ हजार रूपये मात्र) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।	16.	स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

17.	बक्सर जिला के अंतर्गत अत्यधिक आर्सेनिक से प्रभावित सिमरी बहुग्रामीय पाईप जलापूर्ति योजना के निर्माण हेतु 112.57 करोड़ रूपये की राशि पर पूर्व में स्वीकृत योजना का पुनरीक्षण कर 168.03 करोड़ रूपये (एक सौ अड़सठ करोड़ तीन लाख रूपये) मात्र की राशि पर पुनरीक्षित योजना की स्वीकृति।	17.	स्वीकृत।

ग्रामीण कार्य विभाग

18.	"दरभंगा जिलान्तर्गत हायाघाट प्रखंड के सिरनिया–बिलासपुर पथ में बागमती नदी पर 19x24.75 मी० आकार का पुल निर्माण कार्य जिसकी कुल प्राक्कलित राशि 6917.00 लाख रू० (उनहत्तर करोड़ सतरह लाख रू० मात्र) है, की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।	18.	स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

19. बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० के अन्तर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु बगहा (पं० चम्पारण), भोरे (गया), दाउदनगर (औरंगाबाद), बाराचट्टी (गया), बरारी (भागलपुर) में नये 2x50 एम०भी०ए० क्षमता वाली 132/33 के०भी० ग्रिड सब–स्टेशन, नवीनगर (औरंगाबाद) में 3x50 एम०भी०ए०, 132/33 के०भी० ग्रिड सब–स्टेशन एवं इससे संबंधित संचरण लाईन के निर्माण की 703.16 करोड़ (सात सौ तीन करोड़ सोलह लाख) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं उक्त राशि का 20% अर्थात 140.632 करोड़ (एक सौ चालीस करोड़ तीरेसठ लाख बीस हजार) रूपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात 562.528 करोड़ (पाँच सौ बासठ करोड़ बावन लाख अस्सी हजार) रूपये राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — **19. स्वीकृत।**

वित्त विभाग

20. समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (CFMS) एवं ऑनलाईन राजस्व प्राप्ति प्रणाली (o-GRAS) लागू होने के उपरांत कोषागारों का पुनर्गठन करने के संबंध में। — **20. स्वीकृत।**

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

22. मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना हेतु वाहन चालक के 10 (दस) पदों के सृजन के संबंध में। — **22. स्वीकृत।**

सूचना प्रावैधिकी विभाग

23. Sec.LAN 2.0 परियोजना के क्रियान्वयन हेतु कुल प्राक्कलित राशि ₹52,26,00,000.00 (बावन करोड़ छब्बीस लाख) मात्र की स्वीकृति के विरूद्ध पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि ₹66,18,00,000.00 (छियासठ करोड़ अठारह लाख) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। — **23. स्वीकृत।**

वित्त विभाग

24. बिहार आकस्मिकता निधि के स्थायी काय, जो 350 करोड़ रूपये है, को 30 मार्च, 2021 तक के लिए अस्थायी रूप से बढ़ाकर 8470.45 करोड़ (आठ हजार चार सौ सत्तर करोड़ पैतालीस लाख) रूपये करने के संबंध में। — **24. स्वीकृत।**

वित्त विभाग

25. वित्तीय वर्ष 2020–21 में राज्य सरकार द्वारा 21,188.42 करोड़ रूपये बाजार ऋण सहित कुल 26,419.00 करोड़ रूपये के ऋण उगाही की स्वीकृति। — 25. **स्वीकृत।**

वाणिज्य–कर विभाग

26. बिहार कराधान विवाद समाधान अधिनियम, 2019 एवं बिहार कराधान विवाद समाधान नियमावली, 2020 का तीन माह हेतु अवधि विस्तार करने के संबंध में। — 26. **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

28. कोरोना वायरस (COVID-19) की रोकथाम के लिए विद्यालयों को बंद किए जाने फलस्वरूप छात्रहित में कक्षा–05 एवं 08 सत्र 2019–20 में बिना वार्षिक परीक्षा के छात्र–छात्राओं को अगली कक्षा में प्रोन्नत किए जाने की स्वीकृति के संबंध में। — 28. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

29. डा० हरिशंकर प्रसाद श्रीवास्तव, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, कटैया, गोपालगंज, सेवा से बर्खास्त, सम्प्रति सेवानिवृत्त, के बर्खास्तगी आदेश संकल्प सं० 196(9) दिनांक 23.02.2006 को निरस्त करने के संबंध में। — 29. **स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

30. वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए "मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना" अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत खपत में प्रति इकाई सब्सिडी की राशि के लिए कुल 5494.00 (पाँच हजार चार सौ चौरानवे करोड़) रूपये सब्सिडी स्वीकृत करते हुए वित्तीय वर्ष 2020–21 के माह अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021 की अवधि के लिये 457.83 करोड़ (चार सौ संतावन करोड़ तिरासी लाख) रूपये प्रतिमाह की दर से कुल 5494.00 (पाँच हजार चार सौ चौरानवे करोड़) रूपये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से सीधे एन॰टी॰पी॰सी॰ को भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 30. **स्वीकृत।**

"अन्यान्य"

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

31. कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए माननीय मुख्यमंत्री, राज्य के माननीय मंत्रियों एवं विधान मंडल के माननीय सदस्यों के वेतन का 15 प्रतिशत अगले एक वर्ष तक कटौती करने एवं उक्त राशि को "कोरोना उन्मूलन कोष" में देने का प्रस्ताव। — 31. **स्वीकृत।**